न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/1421/2005/गंगानगर</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसील पदमपुर जिला गंगानगर

–अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र हरनामसिंह बावरी निवासी 1 बीबीए तहसील पदमपुर जिला गंगानगर
2. निहाल सिंह – मृतक (जरिये कायममुकाम)
   2/1. मु. निहालकौर बेवा निहालसिंह
   2/2. गुड्डी पुत्री निहाल सिंह
   2/3. भागसिंह पुत्र निहाल सिंह
   2/4. धर्मसिंह पुत्र निहाल सिंह
   2/5. वीरोकौर पुत्री निहाल सिंह

   –समस्त जाति बावरी निवासीगण 1 बीबीए तहसील पदमपुर जिला गंगानगर
3. गुरदयाल सिंह
4. करतारसिंह

   –पिसरान हरनामसिंह बावरी निवासीगण 1 बीबीए तहसील पदमपुर जिला गंगानगर
5. करमो
6. पंजाबी
7. चिडी

   –पुत्रियां मोदनसिंह
8. पोला सिंह पुत्र सज्जनसिंह जटसिख निवासी 1 बीबीए तहसील पदमपुर जिला गंगानगर

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित

श्री शंकर लाल चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री अमृतपालसिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 20–12–2021

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. हम सर्वप्रथम अपील के साथ संलग्न भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का विचारण करना उचित समझते है। प्रकरण में आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2001 को पारित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 29–3–2005 को पेश गई है। उक्त स्थिति में आलोच्य अपील स्पष्ट रूप से मियाद से बाधित है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उभयपक्ष को सुना। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण सद्भावी तथा सत्यनिष्ठ होने के कारण उन पर विश्वास किया जाकर अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब क्षमा किया जाकर प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी राज्य सरकार ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत आराजी मुरब्बा नम्बर 51 चक नूरसर बारानी के क्रम में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 पोलसिंह ने अपना जवाब पेश कर वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया। वाद व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने 7 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 31–3–2001 पारित करते हुए आलोच्य वाद को साबित नहीं होना, मियाद बाहर होना तथा रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होना मानते हुए खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। उक्त

अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–5–2004 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अविधिक होना कथित किया। उनका कथन है कि सम्वत 2042 की जमाबंदी में प्रश्नगत रकबे का खातेदार मोदनसिंह पुत्र रूडसिंह अंकित है तथा स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 ने भूमि पर कब्जा होना कहा तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर सवर्ण जाति का कब्जा बतौर राजस्व रेकार्ड अतिक्रमी के रूप में है। उनका आगे कहना है कि मामले में निष्पादित विक्रय विलेख विधिपूर्ण दस्तावेज नहीं है तथा धारा 42 के विधिक प्रावधानों के विपरीत है। उनका तर्क है कि धारा 175 वाद प्रस्तुत करने की समयावधि वर्ष 1989 में 30 वर्ष का प्रावधान है, इस कारण प्रश्नगत वाद समयावधि में ही था। उनका आगे तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों नें विचाराधीन प्रकरण को गुणावगुण पर विवेचित नहीं कर मात्र मियाद के बिन्दु पर निर्धारित करने में भूल की है। इसके अतिरिक्त मूल वाद धारा 11 रेसज्येडिकेटा के सिद्धान्त से किसी भी प्रकार से बाधित नहीं था। उनका आगे यह भी तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपना आक्षेपित निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं कर विधिक प्रावधान आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के बाहर जाकर कृत्य किया है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–5–2004 तथा उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2001 को निरस्त जाने का निवेदन किया।

6. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना कहा है। उनका कहना है कि प्रश्नगत रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी में दर्ज है जो कि जाति से बावरी है। आगे उल्लेख किया कि बावरी जाति से जटसिख सवर्ण जाति प्रतिवादी संख्या 2 को उपरोक्त रकबे का बेचान दिनांक 09-7-1963 को किया गया है, इस कारण मामले में धारा 42-बी का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उनका तर्क है कि मामले में मोदनसिंह ने उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 पोलासिंह के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख की तिथि को बावरी जाति होने के कारण किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यहां यह निवेदन करना उचित है कि बावरी जाति अनुसूचित जाति में समाहित नहीं है तथा बावरी जाति को सर्वप्रथम वर्ष 1977 में अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। इस कारण विक्रय विलेख निष्पादित दिनांक 09-7-1963 को प्रतिवादी संख्या 1 मोदन सिंह सवर्ण जाति का सदस्य था। उनका तर्क है कि इन्हीं पक्षकारान के मध्य पूर्व में एक वाद संख्या 137/75 संस्थित किया गया तथा जिसका निर्णय दिनांक 24-9-1975 को मियाद बाहर अवधारित करते हुए पारित कर खारिज किया गया। उक्त निर्णय को आदिनांक तक चुनौती नहीं दिए जाने की स्थिति में उक्त निर्णय अन्तिम हो गया था। अतः वर्तमान में वादी इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः वाद दायर करने की अधिकारिता नहीं रखता है तथा इस कारण आलोच्य वाद रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से स्पष्ट तौर पर बाधित है। सारांशतः आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

8. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व उपलब्ध रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में धारा 42–बी का उल्लंघन की स्थिति में तहसीलदार पदमपुर ने विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर श्रीकरणपुर के समक्ष अधिनियम की धारा 175 के तहत वाद पेश किया। उक्त वाद का विचारण न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 31–03–2001 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज किया है। उपलब्ध रेकार्ड का विधि की रोशनी में परीक्षण करने पर यह प्रदर्शित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 09–7–1963 के विक्रय विलेख के द्वारा प्रश्नगत आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया है। उल्लेखनीय है कि विक्रेता जाति से बावरी था एवं क्रेता जटसिख सवर्ण जाति का सदस्य है। मामले में तहसीलदार ने बावरी जाति को अनुसूचित जाति का आधारित करते हुए आलोच्य मूल वाद पेश किया है। इस क्रम में यहां यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या मामले में अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा सवर्ण जाति के पक्ष में आराजी का बेचान किया गया है अथवा नही ?

9. उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड से यह प्रकट होता है कि मामले में प्रतिवादी संख्या 1 जाति से बावरी था तथा उसके द्वारा भूमि का पंजीकृत विलेख द्वारा बेचान दिनांक 09–7–1963 को प्रतिवादी संख्या 2 जिसकी जाति जटसिख थी, को किया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह लिखा जाना उचित प्रतीत होता है कि बावरी जाति विक्रय विलेख की निष्पादित तिथि को बावरी जाति सामान्य जाति संवर्ग में समाहित है। इसके अतिरिक्त क्रेता भी सामान्य संवर्ग का सदस्य है। क्रेता एवं विक्रेता की अंकित उक्त जाति को वादी द्वारा अपने वाद पत्र में स्वीकार किया गया है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर बावरी जाति को वर्ष 1976 के बाद अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया है, जबकि मामले में विक्रय विलेख दिनांक 09–7–1963 को निष्पादित किया है, इस कारण भूमि के बेचान के प्रकरण में धारा 175 का मामला नहीं होना पाया जाता है। आलोच्य बेचान पत्र के विरूद्ध पूर्व में दावा वर्ष

1975 में दायर किया गया था, जो कि अवधि बाधित है। इसके अतिरिक्त दूसरा दावा वर्ष 1989 में दायर किया गया, वह भी मियाद से बाधित होना पाया जाता है। अतः आलोच्य मूल वाद स्पष्ट रूप से मियाद से बाधित होना प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त यह भी बिन्दु भी स्पष्ट होता है कि समान तथ्यों एवं समान आराजी के बाबत दोबारा वाद पेश किए जाने की स्थिति में मामले में रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त का हनन होना प्रतीत होता है। उक्त समस्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वादी द्वारा पेश किया गया मूल वाद धारा 42–बी की श्रेणी में आहूत नहीं होता है, इसके अतिरिक्त दावा मियाद बाहर व रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से स्पष्ट रूप से बाधित होना पाया जाता है। तदनुसार अपीलार्थी द्वारा पेश हस्तगत अपील में विधि का बिन्दु निहित नहीं है तदनुसार प्रस्तुत अपील सारहीन होना प्रकट होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थी ने मीमो में असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण इसे निरस्त किया जाकर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के फलस्वरूप प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। इसके साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–5–2004 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य